

उपसमिति की बैठक का कार्यवृत्त आख्या

आज दिनांक 11.03.2016 को नीलाम उप-समिति की बैठक मेरे विश्राम कक्ष मे आहुत की गई। बैठक मे निविदा समिति के सदस्य श्री मन्नु कालिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय सं०-01 बागपत। (सदस्य) एवं श्री विपिन कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय सं०-01 बागपत। (सदस्य) उपस्थित आये। श्री वृजेश कुमार यादव उप-नाजिर के द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष 2015-16 की पार्किंग की नीलामी से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत की गई।

नवनिर्मित दीवानी न्यायालय परिसर मे वित्तीय वर्ष 2016-17 (01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक) हेतु वर्तमान मे दो पार्किंग स्टैण्ड की नीलामी दिनांक 19.03.2016 को समय 1.30 बजे अपरान्ह सिविल कोर्ट परिसर मे नवनिर्मित न्याय भवन मे सभागार में की जायेगी। नीलामी की शर्त निम्नवत है :-

1. कार पार्किंग एवं साईकिल/ मोटर साईकिल पार्किंग की नीलामी का कार्यकाल चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 (01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक) का होगा।
2. पार्किंग की नीलामी मे बोली बोलने वाले व्यक्ति का मु० 20,000/- सुरक्षा धनराशि नगद/ बैंक ड्राफ्ट जमा करनी होगी। बोली होने के पश्चात यह धनराशि बोली की रकम मे समायोजित की जायेगी परन्तु जिनकी बोली स्वीकृत नही होगी, उन्हे सुरक्षा धनराशि वापस कर दी जायेगी। नीलामी मे भाग लेने वाले व्यक्तियों को दिनांक 18.03.2016 तक बोली बोलने वाले व्यक्तियों को नगद रूप / बैंक ड्राफ्ट के रूप मे जमानत धनराशि केन्द्रीय नज्जारत मे जमा करना होगा उन्हे ही बोली लगाने का अधिकार प्राप्त होगा।
3. प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को एक फार्म भरना होगा, जो 100 रुपये मूल्य पर नज्जारत कार्यालय मे दिनांक 14.03.2016 से 18.03.2016 तक 12.00 बजे अपरान्ह तक उपलब्ध रहेगा। उक्त फार्म के साथ सम्बन्धित ठेकेदार को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अपना स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नीलामी मे भाग लेने हेतु व्यक्ति को अपना आवेदन फार्म तिथि 18.03.2016 तक प्रस्तुत कर सकते है।
4. ठेका प्राप्त करने वाले व्यक्ति का दायित्व होगा कि वह पांच दिन के अन्दर ठेके के अनुबन्ध हेतु रुपये 100/-का जनरल स्टाम्प नज्जारत कार्यालय मे प्रस्तुत करें, ताकि अनुबन्ध पत्र माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित किया जा सकें।
5. बोली स्वीकृत होने पर सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा बोली की सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त चालू वित्तीय वर्ष हेतु तुरन्त जमा करनी होगी।
6. बोली की तिथि आगे बढ़ाने, उसे निरस्त करने अथवा कोई बोली स्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार श्रीमान जनपद न्यायाधीश बागपत को होगा।
7. श्रीमान जनपद न्यायाधीश बागपत अथवा प्रमारी अधिकारी नज्जारत, जजी द्वारा ठेके के समय या वित्तीय वर्ष के दौरान जो भी आदेश दिये जायेंगे। ठेकेदार द्वारा उनका पूर्ण रूप से पालन करना होगा। आदेश का पालन न करने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
8. साईकिल स्टैण्ड के ठेकेदार द्वारा साईकिल स्टैण्ड मे कीचड जल, भराव आदि की समस्या को रोकने के लिये आवश्यक साफ-सफाई के साथ ही फर्श भी मजबूत रखनी होगी जिससे वाहन आने जाने पर धूल व कीचड से बचाव हो सके।
9. अधिक बोली दाता के पक्ष मे ठेका छूटने पर यदि उसके द्वारा तत्काल सम्पूर्ण धनराशि जमा नही की जाती तो नीलामी समिति द्वारा स्वविवेकानुसार अगली अधिकतम बोली बोलने

11-3-16

11/3/16

14

वाले के पक्ष में बोली स्वीकृत की जा सकती है। और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा बोली गई बोली की धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।

10. यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी गई अथवा नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत की गई उसके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा नहीं की गई तो उसकी सिक्वॉटी मनी जब्त कर ली जायेगी।

11. ठेका शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के जमा धनराशि जब्त करते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा ठेकेदार को अविलम्ब स्थान खाली करके कब्जा वापिस करना होगा। अन्यथा ठेकेदार के खर्च पर खाली कराकर कब्जा वापिस लिया जायेगा। ठेका पुनः नीलामी आवंटन योग्य होगा।

12. अपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि इस तथ्य को छिपाये जाने पर किसी व्यक्ति का ठेका यदि स्वीकृत हो जाता है, तो उसकी जानकारी होने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कार पार्किंग एवं मोटर साईकिल व साईकिल पार्किंग का ठेका की दर निम्नवत है :-

कार पार्किंग	20 रुपये प्रति वाहन
मोटरसाईकिल	10 रुपये प्रति वाहन
साईकिल	05 रुपये प्रति वाहन

यदि नीलामी का औसतन आकलन किया गया जो निम्न प्रकार से है:-

वाहन का विवरण	प्रतिदिन वाहनो की अनुमानित संख्या	प्रतिदिन औसतन आय	प्रतिमाह औसतन आय (22 दिन)
चार पहिया वाहन	25 से 30	500 से 600	11000 से 13200 तक
दो पहिया वाहन	100 से 120	1000 से 1200	22000 से 26400 तक

घरोहर धनराशि का विवरण :-

क्रम सं०	ठेके का विवरण	घरोहर राशि	भूमि का विवरण
1.	कार पार्किंग	20,000/- रुपये	34.00 मीटर गुना 30.00 मीटर
2.	मोटरसाईकिल व साईकिल पार्किंग	21,000/- रुपये	34.10 मीटर गुना 31.00 मीटर

नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

(विपिन कुमार)
सदस्य
नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय सं०2
बागपत।

(मन्सु कालिया)
सदस्य
नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
त्वरित न्यायालय सं०1
बागपत।

(लालचन्द्र-द्वितीय)
अध्यक्ष
नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं० 01
बागपत।

Approved
14/3/16

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कार पार्किंग एवं मोटर साईकिल व साईकिल पार्किंग का ठेका की दर निम्नवत है :-

कार पार्किंग	20 रूपये प्रति वाहन
मोटरसाईकिल	10 रूपये प्रति वाहन
साईकिल	05 रूपये प्रति वाहन

यदि नीलामी का औसतन आकलन किया गया जो निम्न प्रकार से है:-
कार पार्किंग व मोटरसाईकिल व साईकिल पार्किंग

वाहन का विवरण	प्रतिदिन वाहनो की अनुमानित संख्या	प्रतिदिन औसतन आय	प्रतिमाह औसतन आय (22 दिन)
चार पहिया वाहन	25 से 30	500 से 600	11000 से 13200 तक
दो पहिया वाहन	100 से 120	1000 से 1200	22000 से 26400 तक

घरोहर धनराशि का विवरण :-

क्रम सं०	ठेके का विवरण	घरोहर राशि	भूमि का विवरण
1.	कार पार्किंग	20,000/- रूपये	34.00 मीटर गुना 30.00 मीटर
2.	मोटरसाईकिल व साईकिल पार्किंग	21,000/- रूपये	34.10 मीटर गुना 31.00 मीटर

नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

(विपिन कुमार)

सदस्य

नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय सं०२

बागपत।

(मन्नु कालिया)

सदस्य

नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
त्वरित न्यायालय सं०१

बागपत।

(लालचन्द्र-द्वितीय)

अध्यक्ष

नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं० ०१

बागपत।

पत्रांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु

1. जनपद न्यायाधीश, बागपत।
2. जिलाधिकारी, बागपत।
3. नगर निगम, बागपत।
4. तहसील, बागपत।
5. दैनिक समाचार-पत्र, मे नि: शुल्क प्रकाशनार्थ।
6. कंप्यूटर विभाग, जनपद न्यायालय, बागपत को जनपद न्यायालय, बागपत एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(लालचन्द्र-द्वितीय)

अध्यक्ष कय/नीलाम समिति,

अपर जिला जज, न्यायालय संख्या-०१,

दीवानी न्यायालय बागपत।

वाहन पार्किंग आवेदन फार्म

क्रमांक:-

नवीनतम फोटो

नीलामी मे भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम :- श्री

पिता का नाम :- श्री

स्थायी पता :-

वार्षिक आय :-

शैक्षिक योग्यता :-

कार्य का अनुभव यदि हो तो :-

व्यवसाय :-

उम्र :-

मैं/हम इस ठेका सम्बन्धी कार पार्किंग/मोटर साईकिल/साईकिल पार्किंग की नीलामीके सम्बन्ध में आवेदन करता हूं।

मेरे द्वारा दिनांक.....को निराक्षित की गयी तथा रूपया का नगद/बैंक ड्राफ्ट संख्या :-.....दिनांकित :-..... धनराशि सिक्कोटि के रूप मे जमा कर दी गयी है। जिसे यदि मैं ठेका का कार्य करने मे अस्मर्थ रहता हूं या पूर्ण धनराशि जमा करने मे असफल होता हूं तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायें। नीलामी समिति की शर्तों को भली-भांति पढ व समझ लिया है। जिसका मैं भली-भांति पूर्ण रूप से पालन करूंगा।

उपरोक्त नीलामी मेरे द्वारा दीवानी न्यायालय बागपत, प्रांगण में नीलामी समिति के द्वारा अधिकतम धनराशि रूपयाघोषित की जाती है व यह घोषणा की जाती है कि उपरोक्त निविदा फार्म में भरी गयी समस्त सूचना सही व सत्य है। यदि उपरोक्त सूचना असत्य पायी गयी तो मेरी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

दिनांक :-

हस्ताक्षर आवेदक

नोट :-

01. ठेकेदार/व्यक्ति को नीलामी मे भाग लेने वाले हेतु अपनी आई0 डी0 की सत्यापित छायाप्रति, मोबाईल नम्बर, घर का बेसिक/टेलीफोन/मोबाईल नम्बर उक्त फार्म के साथ देना अनिवार्य होगा। अपूर्ण फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

दिनांक:-

आवेदक के हस्ताक्षर

Seen
me

Seen
11-3-16

Seen